



033-22875731/32/33/34
 GRAM: "SUREAST"
 FAX:- 033-22479038
 E-mail:- wbs.gdc soi@gov.in



SURVEY OF INDIA

WEST BENGAL & SIKKIM GDC
 13, WOOD STREET,
 KOLKATA:- 700016.

W.B. & SIKKIM GDC'S KOLKATA ROUTINE ORDER NO. 03 / 37-G-11 DATED 09 .04.2019

पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम जीडीसी, कोलकाता नेमी आदेश सं. 03 / 37-G-11 दिनांक 09 .04.2019

1. उप निदेशक के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति
 PROMOTION TO THE POST OF DEPUTY DIRECTOR(JAG) ON REGULAR BASIS

भारत के महासर्वेक्षक के दिनांक 25-03-2019 के पत्रांक सी- 2030/853-डीडी के अनुसार निम्नलिखित अधीक्षक सर्वेक्षक को उप निदेशक (जे ए जी) के पद पर नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल 12 में उनके नाम के आगे वर्णित तिथि से पदोन्नति प्रदान की जाती है।

With the approval of the Surveyor General of India vide his letter No. C-2030/853-DD dated. 25-03-2019, the undermentioned Superintending Surveyor is hereby promoted to the Post of Deputy Director (JAG) on regular basis in the level of Pay Matrix 12 with effect from the date shown against the name below:-

क्रम. संख्या Sl. No.	नाम Name	वर्तमान पद Present Post	जिस पद पर पदोन्नति की जानी है Post to which promoted	वेतन मैट्रिक्स में लेवल Level in Pay Matrix	लागू होने की तिथि Date of effect.
1.	श्री कृष्ण चन्द्र दास (एस. सी) Shri Krushna Chandra Das (S.C)	अधीक्षक सर्वेक्षक Superintending Surveyor	उप निदेशक(जे ए जी) Deputy Director(JAG)	लेवल 12 Level 12	25-03-2019

(प्राधिकार :- सं. - सी- 2030/853-डीडी दिनांक 25-03-2019)

(Authority :- S.G.'s letter No. C-2030/853-DD dated. 25-03-2019)

ii) संबंधित सरकारी कर्मचारी को FR 22(I) (क) (1) के अनुसार वेतन नियमित हेतु विकल्प प्रस्तुत करना होगा जिसके आधार पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा उनके नियमित किया जायेगा।

The concerned Govt. Servant is required to exercise an option under FR-22(I) (a) (I), on that basis Head of Office will fix/regularize his pay in new level of Pay Matrix.

iii) प्रमाणित किया जाता है कि इनके विरुद्ध इस कार्यालय के पत्रांक सी/ए- 32/17-ए-2(पी) दिनांक 14-03-2018 एवं सी/ए- 72/17-ए-2(पी) दिनांक 01-06-2018 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही / सतर्कता जाँच / दण्ड लम्बित है।

Certified that disciplinary proceeding / vigilance case / punishment is pending against him vide this office letter Nos. C/A-32/17-A-2(P) Dated. 14-03-2018 and C/A-72/17-A-2(P) Dated. 01-06-2018.

iv) इस मद में होने वाले अतिरिक्त व्यय का वहन वर्ष 2019-2020 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान से पूरा किया जायेगा एवं उचित शीर्ष के नामे किया जाएगा।

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant for the Financial year 2019-2020 and debited to the appropriate Head of Account.

2. भण्डार सहायक के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति

(PROMOTION TO THE POST OF STORE ASSISTANT ON REGULAR BASIS)

भारत के महासर्वेक्षक के दिनांक 18-03-2019 के पत्रांक सी- 1863/724 भण्डार सहायक के अनुमार निम्नलिखित भण्डार पाल वर्ग- II को भण्डार सहायक के पद पर नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल 6 में उनके नाम के आगे वर्णित तिथि से पदोन्नति प्रदान की जाती है।

With the approval of the Surveyor General of India vide his letter No. C-1863/724 –Store Assistant, dated. 18-03-2019, the undermentioned Store Keeper Gde.II is hereby promoted to the Post of Store Assistant on regular basis in the level of Pay Matrix 6 with effect from the date shown against the name below:-

क्रम. संख्या Sl. No.	नाम Name	वर्तमान पद Present Post	जिस पद पर पदोन्नति की जानी है Post to which promoted	वेतन मैट्रिक्स में लेवल Level in Pay Matrix	लागू होने की तिथि Date of effect.
1.	श्री दीपेश दास Shri Dipesh Das	भण्डार पाल वर्ग- II Store Keeper Gde.II	भण्डार सहायक Store Assistant	लेवल 6 Level 6	19-03-2019

(प्राधिकार :- सं. - 1863/724 भण्डार सहायक दिनांक 19-03-2019)

(Authority :- S.G.'s letter No. C-1863/724 –Store Assistant dated. 18-03-2019)

ii) संबंधित सरकारी कर्मचारी को FR 22(I) (क) (1) के अनुसार वेतन नियमित हेतु विकल्प प्रस्तुत करना होगा जिसके आधार पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा उनके नियमित किया जायेगा।

The concerned Govt. Servant is required to exercise an option under FR-22(I) (a) (I), on that basis Head of Office will fix/regularize his pay in new level of Pay Matrix.

iii) प्रमाणित किया जाता है कि इनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही / सतर्कता जाँच / दण्ड लम्बित नहीं है।

Certified that no disciplinary proceeding / vigilance case / punishment is pending against him.

iv) इस मद में होने वाले अतिरिक्त व्यय का वहन वर्ष 2019-2020 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान से पूरा किया जायेगा एवं उचित शीर्ष के नामे किया जाएगा।

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant for the Financial year 2019-2020 and debited to the appropriate Head of Account.

रजत शर्मा

(रजत शर्मा Rajat Sharma) कर्नल Col

निदेशक Director

पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम जीडीसी

WB & Sikkim GDC, Kolkata

Copy to:

1. The Surveyor General of India for information.
2. All Addl. Surveyor General and Director for information
3. SOI Website Admin (through mail).
4. RP & AO, Kolkata for information.
5. DD/CPIO/E&AO/Estate Officer/Technical Officer.
6. In-charge: Confidential / Correspondence /Actt. & Drawl-A/B/C/Cashier/P.S/ Store/Security/Fire Fighting/MT/Horticulture/Wing-I/Wing-II/Archival/MRIS & MSO/R&M Section.
7. S/Book & P/F of Concerned officials / Notice Board / Guard File.